

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद  
जिला-बालोद (छ.ग.)

---

निविदा प्रपत्र

// पेरार्ई सत्र 2019-20 हेतु दैनिक ठेका श्रमिक निविदा फार्म //

निविदा दिनांक 27.11.2019  
समय 2.30 बजे के बाद  
स्थान- प्रशासनिक भवन, कारखाना

फार्म शुल्क : 1000/-

---

ग्राम-करकाभाट, पोस्ट सोरर, तहसील-बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.) 491227

फोन नं.-07749-212201, 213941, टोल फ्री नम्बर 18002331255

वेबसाईट-dmsskm.com [ईमेल-dmsskm.balod@rediffmail.com](mailto:ईमेल-dmsskm.balod@rediffmail.com)

## निविदा का विवरण

### तकनीकी भाग—एक

प्रति,

प्रबंध संचालक

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला—बालोद(छ.ग.)

निविदा सूचना नं. 468

दिनांक 14.11.2019

### (1) व्यवसायी/फर्म का विवरण

1. निविदाकर्ता का नाम — .....
2. निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम — .....
3. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता — .....
4. दूरभाष/मोबाईल नंबर — .....
5. ईमेल आईडी — .....
6. आयकर विभाग का पेन नंबर — .....
7. जी.एस.टी. नम्बर — .....

- (2) श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक/दिनांक — .....
1. फर्म द्वारा जमा ई.पी.एफ. दो वर्षों का विवरण — .....
  2. सी.ए. द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट, एवं आयकर — .....
  - विवरणी विगत 2 वर्ष का,
  3. नियोक्ता का पी.एफ.नंबर — .....
  4. पूर्व में किसी भी फर्म में किये गये — .....
  - कार्य/श्रमिक नियोजन का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र
  5. संस्था/फर्म का नाम जहां कार्य — .....
  - किया गया है का पूर्ण विवरण

### (3) नियम एवं शर्तें

1. निविदा प्रपत्र स्पष्ट (पठनीय)भरी जानी चाहिए। कांट-छांट की दशा में लघु हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
2. श्रमिक नियोजित निविदा भरते समय राशि रू. **100000 /-(एक लाख)** का डी.डी. जमा कर, निविदा फार्म के साथ फार्म क्रय की रसीद की छायाप्रति संलग्न कर निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
3. श्रम विभाग/कलेक्टर द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान/पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही बालोद श्रम विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
4. फर्म/ठेकेदार को जी.एस.टी. को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के कर फर्म/ठेकेदार के द्वारा देय होगा।
5. फर्म/ठेकेदार को कारखाना प्रबंधन के निर्देशानुसार कार्य संपन्न करना होगा। लापरवाही/अनुशासन का पालन नहीं किये जाने पर कार्य से पृथक किया जावेगा।
6. ठेकेदार को कारखाना अधिनियम, श्रम अधिनियम एवं अन्य समस्त संबंधित अधिनियमों का पालन करना होगा।
7. फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये श्रमिकों को कार्य के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यवस्था स्वयं को करना होगा।
8. संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में किसी भी समय कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है।
9. पेराई सीजन खत्म होने पर कार्य स्वतः समाप्त माना जावेगा, एवं कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण न करने की स्थिति में भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. कारखाना प्रबंधन उपर्युक्त के अलावा भी नियम/शर्तें लागू कर सकेगा। जो ठेकेदार को पालन करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति में कारखाना प्रबंधन(कमेटी) का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।
12. फर्म या ठेकेदार द्वारा संस्था को जो भी श्रमिक उपलब्ध कराये जायेंगे, उनके द्वारा किसी भी प्रकार के हड़ताल/अनुशासनहीनता नहीं की जायेगी। इस प्रकार का शपथ पत्र अनुबंध के समय कारखाना प्रबंधन को देना अनिवार्य है।
13. उन कार्यों पर जिनका दर निविदा में एल-1 फर्म की दर है, निगोसिएशन में उसी कार्य का दर अन्य फर्म द्वारा और कम दर प्रस्तुत किये गये है, उन कार्यों को निविदा में प्राप्त एल-1 दर वाली फर्म का प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी। फर्मों के द्वारा कम दर पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, अथवा निर्धारित अवधि में कार्य नहीं

करने पर उन कार्यों के वास्तविक निगोसियेशन एल-1 दर जिस फर्म ने प्रस्तुत किये हैं उन फर्म को कार्य हेतु आदेशित किया जायेगा।

14. श्रमिक ठेकेदार को श्रमिक ठेकेदारी अन्य स्थान पर किया गया कार्य श्रमिक नियोजन को एक वर्ष का कम से कम अनुभव हैं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. अनुबंध रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर में करना होगा।
16. कार्यालय भविष्य निधी छ.ग. रायपुर में जमा की गई ई.पी.एफ. चालान की फोटो कॉपी प्रतिमाह भुगतान से पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
17. उक्त निविदा फार्म दिनांक 18.11.2019 से 27.11.2019 तक प्राप्त कर दिनांक 27.11.2019 को 2.00 बजे तक जमा किया जा सकता है। एवं 2.30 बजे के बाद निविदा खोला जावेगा।
18. ई.पी.एफ. संबंधित समस्त कार्य ठेकेदार को अनिवार्य करना होगा।
19. उपरोक्त नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपका निविदा निरस्त किया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

### घोषणा

कारखाना द्वारा उपरोक्तानुसार आमंत्रित निविदा में उल्लेखित नियम एवं शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ़/समझ लिया है। जो मुझे मान्य है। अतः इस निविदा की व्यावसायिक भाग में मेरे द्वारा दर प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक.....

निविदाकार का नाम  
हस्ताक्षर एवं सील

लिफाफा क्रमांक – 02

व्यावसायिक भाग-दो

// कारखाने में मेंटेनेस कार्य हेतु एवं अन्य कार्य श्रमिकों के माध्यम से कराने हेतु //

प्रति,

प्रबंध संचालक  
दं.मै.स.श.का.मर्या.बालोद

कारखाना पेराई सीजन 2019-20 के लिए आमंत्रित निविदा क्रमांक 468 का. बा/करकाभाट दिनांक **27.11.2019** के निविदा प्रपत्र भाग में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं दिये गये नियम एवं शर्तों पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए निम्नानुसार दर भर रहें/रहा है।

**कार्य का विवरण:-**

1.	श्रम नियोजन कार्य हेतु कमीशन दर (प्रतिशत में) (ऑफ सीजन में 60-70 श्रमिक एवं क्रसिंग सीजन में 200 से 210 श्रमिक)	अंको में..... शब्दों में..... ..... .....
----	--	--

निविदाकार का नाम/पता

हस्ताक्षर एवं सील

## अनुबंध की नियम एवं शर्तें—

1. पक्षकार क्रमांक 02 श्रमिक ठेकेदार को संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 के तहत श्रमिक नियोजित हेतु वैध अनुज्ञप्ति धारी होना अनिवार्य होगा।
2. यह कि प्रथम पक्षकार की मांग अनुसार संख्या में द्वितीय पक्षकार द्वारा कारखाने के लिए श्रमिकों की कुशलता एवं अनुभव के आधार पर तकनीकी एवं गैर तकनीकी ठेका श्रमिकों की सेवाएं उपलब्ध कराया जावेगा। पक्षकार क्र. 01 ठेका श्रमिक की संख्या में कभी संसोधन परिवर्तन अथवा निरस्तीकरण कर सकेगा।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिकों के एवज में प्रथम पक्ष द्वारा कार्य आदेश में उल्लेखित अनुसार पारिश्रमिक एवं पात्रता अनुसार सर्विस टेक्स दिया जावेगा।
4. द्वितीय पक्षकार प्रचलित श्रम नियमों कानूनों तथा कारखाना में ठेका श्रमिकों की सेवाएं प्रदान करने संबंधित समस्त नियमों एवं कानूनों और इस संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों के साथ ही कारखाना प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा।
5. द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध के समय श्रमिक पंजीयन (लाईसेंस) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
6. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिक कारखाना के अधिकारियों के निर्देशन में ही कार्य संपन्न करेंगे। ठेका श्रमिकों द्वारा आदेशों के अवहेलना करने/कारखाना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाने या अवांछनीय गतिविधियों तथा हड़ताल विरोध प्रदर्शन तालाबंदी, कामबंदी इत्यादि में संलिप्त रहने अथवा कार्य में गुणवत्ता का अभाव पाये जाने की स्थिति में प्रबंधन के निर्देश पर ऐसे ठेका श्रमिकों को तत्काल कार्य से पृथक करना होगा। तथा कारखाने के द्वारा मांग किये जाने पर उसके स्थान पर नया ठेका श्रमिक उपलब्ध कराना होगा।
7. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई भी ठेका श्रमिक कारखाने द्वारा नियोजित कर्मचारी/ठेका श्रमिक नहीं होगा। ठेका श्रमिक का नियोक्ता संबंधित श्रमिक ठेकेदार ही रहेगा।
8. संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 छ.ग. नियम 1973 के नियम 76 में दिये गये प्रावधान के अनुसार द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक ठेका श्रमिकों को नियमानुसार नियुक्ति पत्र/फोटो युक्त प्रदान करने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 02 की होगी।

9. द्वितीय पक्षकार द्वारा अपने ठेका श्रमिकों के लिए अनिवार्य रूप अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर एक फोटो युक्त परिचय पत्र जारी किया जावेगा। जिसमें ठेका श्रमिक का नाम पिता या पति का नाम स्थानीय पता पद मजदूरी दर बैंक का नाम अंकित रहेगा। परिचय पत्र तीन-तीन प्रतियों में बनाया जावेगा। परिचय पत्र में ठेकेदार के हस्ताक्षर होंगे। तथा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में जिले के प्रभारी श्रम पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत श्रम निरीक्षक का हस्ताक्षर कराया जाना आवश्यक होगा। परिचय पत्र की एक प्रति संबंधित ठेका श्रमिक को लेमिनेशन करवाकर प्रदाय करवाने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों की होगी। परिचय पत्र की एक प्रति संबंधित ठेकेदार के अभिलेख में संधारित की जावेगी। तथा परिचय पत्र की एक प्रति जिले के प्रभारी श्रम पदाधिकारी अथवा उनके अधिकृत पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी। परिचय पत्र की एक सत्यापित छायाप्रति पक्षकार क्रमांक 01 के कार्यालय में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी पक्षकार क्रमांक 02 को श्रमिक ठेकेदार की ही होगी।
10. श्रमिक ठेकेदार यदि किसी ठेका श्रमिक को कार्य से पृथक करता है तो उसको जारी परिचय पत्र अनिवार्य रूप से निरस्त कर पक्षकार क्रमांक 01 को तथा संबंधित श्रम पदाधिकारी लिखित रूप से सूचित करने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 02 की रहेगी।
11. प्रत्येक सीजन की समाप्ति अथवा अनुबंध समाप्ति होने पर संबंधित ठेका श्रमिकों से परिचय पत्र की वापस लेने की जिम्मेदारी पक्ष क्रमांक 02 की रहेगा। ताकि उक्त परिचय पत्र का किसी प्रकार का दुरुपयोग ना हो पाये।
12. परिचय पत्र का प्रारूप निम्नानुसार रहेगा।

<b>परिचय पत्र</b>	
	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">           PHOTO         </div>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नाम/पिता या पति का नाम.....</li> <li>2. स्थानीय पता.....</li> <li>3. पद/मजदूरी दर.....</li> <li>4. बैंक का नाम व खाता नंबर.....</li> <li>5. ठेकेदार/फर्म का नाम एवं पता.....</li> <li>6. प्रमुख नियोक्ता का नाम एवं पता.....</li> </ol>	
<b>निर्देश:-</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 जिस व्यक्ति को यह परिचय पत्र जारी किया गया है वह इसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।</li> </ol>	

- 2 यह परिचय पत्र स्थानांतरण होने/सेवामुक्त/कार्य से पृथक होने पर वापस किया जायेगा।
- 3 परिचय पत्र की खो जाने ठेकेदार अथवा प्राधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना दी जावे।
- 4 पुनः कार्ड बनवाने पर निर्धारित शुल्क देय होगा।
- 5 यह परिचय पत्र अहस्तांतणीय है।

13. पक्षकार क्रमांक 02 की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त ठेका श्रमिक कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त परिचय पत्र गले में अथवा जेब के उपर दृष्टिगोचर स्थान पर अनिवार्य रूप से लगावे।
14. यदि कोई ठेका श्रमिक कार्य छोड़ देता है अथवा संबंधित ठेकेदार उसे कार्य से पृथक कर देता है उस स्थिति में उन ठेका श्रमिकों को व्यक्तिगत ईपीएफ खाते में जमा राशि को संबंधित ईपीएफ कार्यालय से भुगतान दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित श्रमिक ठेकेदार पक्षकार क्र. 02 की ही होगी।
15. पक्षकार क्र. 02 के द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिकों को कारखानों द्वारा निर्धारित मान से पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित ठेकेदार को ही किया जावेगा। संबंधित ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने श्रमिकों को तीन दिवस के भीतर उनके बैंक खातों के माध्यम से कारखाना से प्राप्त पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से करें। पारिश्रमिक भुगतान में चूक करने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध पक्षकार क्र. 01 के द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
16. यदि किसी कारण से द्वितीय पक्षकार कारखाना को ठेका श्रमिक उपलब्ध कराने में अस्मर्थ रहता है तो एक माह पूर्व प्रथम पक्षकार को लिखित सूचना करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अमानत राशि जब्त करने के अलावा कारखानों को होने वाले क्षति के भरपाई के लिए दावा भी किया जा सकेगा।
17. उभय पक्षों के बीच हुए अनुबंध की शर्तों को समस्त ठेका श्रमिकों को अवगत कराना द्वितीय पक्षकार का उत्तर दायित्व होगा।
18. यह अनुबंध पेरार्ड सत्र 2019-20 की समाप्ति तक ही मान्य होगा। किन्तु कारखाना प्रबंधन कार्य की आवश्यकता आधार पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर सकेगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति द्वारा अनुबंध ऑफ सीजन के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। किन्तु ऑफ सीजन में ठेका श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन श्रमिकों के कार्य के आवश्यकतानुसार ही की जावेगी।
19. प्रथम पक्षकार से प्राप्त पारिश्रमिक राशि को द्वितीय पक्षकार द्वारा संबंधित ठेका श्रमिकों को बैंक खाते के माध्यम से तीन दिवस के भीतर भुगतान किया जाकर भुगतान विवरण तथा सर्विस टेक्स चालान की प्रति प्रथम पक्षकार को 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।



20. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया ठेका श्रमिकों के संबंध में जानकारी तथा ठेका श्रमिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, कार्यानुभव, वर्तमान पत्र व्यवहार का पता, पूर्ण स्थाई पता, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, ब्लड ग्रुप, ठेका श्रमिक के व्यक्तिगत ईपीएफ खाता नं. की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसी ठेका श्रमिक के संबंध में चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित विभाग, संबंधित थाने से प्राप्तकर प्रथम पक्षकार के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्षकार की रहेगी।
21. द्वितीय पक्षकार अपने ठेके श्रमिक के लिए व्यक्तिगत बीमा अथवा समूह बीमा प्रचलित नियमों के अनुसार कराने हेतु जिम्मेदार होगा। उक्त बीमा में दुर्घटना बीमा प्रचलित नियमों के अनुसार कराने हेतु जिम्मेदार होगा। उक्त बीमा में दुर्घटना बीमा एवं चिकित्सा व्यय की क्षतिपूर्ति इत्यादि सम्मिलित रहेगा। किसी प्रकार का दुर्घटना होने से क्षति पूर्ति दिलाने का उत्तरदायित्व पक्षकार क्रमांक 02 का रहेगा। ठेका श्रमिकों के बीमा का नवीनकरण समय पूर्व कराना द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी होगी। ठेका श्रमिकों के लिए कराये गये बीमा संबंधी दस्तावेज के सत्यापित प्रति संबंधित ठेका श्रमिकों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 02 की होगी।
22. द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिक शाररिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तथा श्रम नियमों के अनुसार बाल श्रमिक ना हो।
23. श्रम पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन करना एवं श्रम विधि के अनुकूल वांछित दस्तावेज खाखा संधारण करना तथा आवश्यकता अनुसार सक्षम अधिकारियों से उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण कराने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्षकार की होगी।
24. पक्षकार क्रमांक 02 के द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिकों के लिए शक्कर कारखाना का सेवा नियम लागू नहीं होगा। तथा साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर किसी प्रकार के अन्य अवकाश तथा अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी। ठेका श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान किये गये कार्य दिवसों की गणना के आधार पर किया जावेगा।
25. पक्षकार क्रमांक 02 को कारखाना अधिनियम 1970 संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 छ.ग. नियम 1973 तथा अन्य प्रचलित कानूनों के तहत वांछित पंजी/दस्तावेज का संधारण करना अनिवार्य होगा। तथा उक्त दस्तावेजों

- का सत्यापन/निरीक्षण संबंधित सक्षम अधिकारी से कराने की जिम्मेदारी पक्षकार क्र. 02 की होगी।
26. पक्षकार क्र. 02 की यह जिम्मेदारी होगी कि कारखानों के चीफ इंजीनियर/कारखाना प्रबंधक के निर्देशानुसार अपने ठेका श्रमिकों को प्रचलित सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करावें। ठेका श्रमिकों के सुरक्षा संबंधी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित श्रमिक ठेकेदार पक्षकार क्र. 02 की होगी। अनुबंध निष्पादित होने के एक सप्ताह के भीतर पक्षकार क्रमांक 02 अपने ठेका श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण तथा हेलमेट, दास्ताने, सेफ्टी जूते, सेफ्टी चश्मा, सेफ्टी बेल्ट एवं ड्रेस कोड अनुसार वर्दी इत्यादि कार्य स्थल के अनुसार स्वयं उपलब्ध करायेगा। उपरोक्तानुसार सुरक्षा उपकरण इत्यादि संबंधी विभागाध्यक्षों/चीफ इंजीनियर के सुझाव अनुसार आवश्यक मात्रा/संख्या में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 02 की होगी।
27. पक्षकार क्रमांक 02 की यह जिम्मेदारी होगी कि कारखाना तीनों पालियों में कार्य के दौरान अपने ठेका श्रमिकों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक पालियों में एक नियंत्रणकर्ता सुपरवाइजर रखेगा। जिसका यह दायित्व होगा कि वह संबंधित ठेका श्रमिकों के कार्यों की निगरानी रखें। तथा पक्षकार क्रमांक 01 के संबंधित शाखा के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें। तथा अपने ठेका श्रमिकों के हाजिरी के संबंध में शिफ्टवार दैनिक जानकारी टाईम ऑफिस में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
28. पक्षकार क्र.02 केद्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त/शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्य समाप्त कर श्रमिक ठेकादार को काली सूची में दर्ज किया जाकर कार्य से पृथक किया जायेगा। तथा उनके ठेका श्रमिकों को आवश्यकतानुसार अन्य पंजीकृत श्रमिक ठेकादार के माध्यम से कार्य पद लिया जावेगा।
29. पक्षकार क्रमांक 01 एवं 02 के मध्य किसी विवाद के निराकरण हेतु संबंधित क्षेत्र का सहकारी न्यायालय सक्षम होगा।
30. ईपीएफ कोड नं. होना एवं गत एक वर्ष का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
31. किसी भी कार्य के लिए तीन दर प्रस्तुत होने पर ही विचार किया जायेगा। तीन दर से कम पर कमेटी का ही निर्णय मान्य होगा।
- हम प्रथम एवं द्वितीय पक्ष उपर दर्शाये गये शर्तों को पढ़कर एवं समझकर अनुबंध पत्र आज दिनांक.....को स्थान.....में निष्पादित करते हैं।

<p style="text-align: center;"><b>प्रथम पक्षकार</b> दं.मै.स.श.का.मर्या.बालोद</p>	<p style="text-align: center;"><b>द्वितीय पक्षकार</b> श्रमिक ठेकेदार / ठेकेदार फर्म का नाम</p>
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम / पदनाम.....	नाम / पदनाम.....
.....	.....
पूर्ण पता.....	पूर्ण पता.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
<b>गवाह— 01</b>	
नाम.....	
हस्ताक्षर.....	
<b>गवाह—02</b>	
नाम.....	
हस्ताक्षर.....	